प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 11.01.2026**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 007/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार अर्टिका नं0 HR 51BN 7289 व निशांदेही पर आलाकत्ल एक चाकू , एक कार जैक, मो0सा0 R1-5 नं0 HR85 G1208 व मृतक का मोबाईल फोन ओप्पो व अधजला आधार कार्ड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.01.2026 को सूप - रमाला नहर में पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था, शव की शिनाख्त हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 04 टीम गठित की गई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से गश्ती तलाश जारी कर शिनाख्त कराई गई, जिससे मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी दलीपगढ बब्याल निकट गोगा माडी थाना अम्बाला कैन्ट जिला अम्बाला हरियाणा के रूप में हुई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 07/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 07/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया

गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार अर्टिका नं0 HR 51BN 7289 व निशांदेही पर आलाकत्ल एक चाकू , एक कार जैक, मो0सा0 R1-5 नं0 HR85 G1208 व मृतक का मोबाईल फोन ओप्पो व अधजला आधार कार्ड बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि कुमार पुत्र स्व0 देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतक दीपक के 30 लाख रुपये तथा 01 बाईक R1-5 मैंने ले रखे थे, जिन्हें वह बार - बार मांगकर मुझे परेशान करता रहता था। मुझसे पैसे बन नहीं रहे थे तो मैंने दीपक को प्लानिंग करके अपने घर बुलाकर बर्गर में नशीला पदार्थ मिलाकर दीपक को खिला दिया , जिससे वह बेहोश हो गया और मैंने चाकू से उसका गला काट दिया तथा दीपक की लाश को सूप - रमाला नहर में पुल के नीचे फेंक दिया था।

बरामदगी -

- अर्टिका नं0 HR 51BN 7289 (घटना में प्रयुक्त)
- चाकू (आला कत्ल)
- एक कार जैक
- मो0सा0 R1-5 नं0 HR85 G1208
- मोबाईल ओप्पो (मृतक का)
- अधजला आधार कार्ड (मृतक का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री संजय कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
6-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
7-है0का0 60 पंकज थाना रमाला जनपद बागपत।
8-का0 478 अजीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट　　　　　　दिनाँक- 11.01.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 35 पाउच देशी शराब बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 35 पाउच देशी शराब बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र पुत्र आसाराम निवासी ग्राम नंगला कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 35 पाउच देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत

2-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत